any representation from the Sahu Jain Group for the lease of mines in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

वर्ष 1971 से पूर्व भारत में आए बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी

2749. **श्री विभूति मिश्र** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगला देश के उन शरणार्थियों से वापिस बंगला देश जाने का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष भारत आए शरणार्थियों से पूर्व यहां आए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां। 26 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए प्रवासी परिवारों से जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न राहत शिविरों और पुनर्वास क्षेत्रों में रह रहे हैं, 4500 आवेदन पत्र अब तक प्राप्त हुए हैं जिन्होंने बंगला देश जाने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) शरणार्थियों को बंगला देश वापस भेजने के संबंध में सरकार द्वारा केवल उनके लिए व्यवस्था की गई थी जो कि 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए थे और जो विदेशियों के रूप में पंजीकृत किए गए थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत वे व्यक्ति नहीं आते जो 26 मार्च, 1971 से पूर्व प्रवासी के रूप में भारत आये थे और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हैं या कर रहे हैं। 26 मार्च, 1971 से पूर्व आए परिवारों के बारे में वर्तमान नीति यह है कि वर्तमान आदेशों के अनुसार भारत में पुनर्वास की दृष्टि से उन्हें राहत तथा पुनर्वास सहायता मिलती रहेगी। तथापि, भारत सरकार को प्रवासियों की बंगला देश जाने की इच्छा के बारे में जानकारी है। इस प्रश्न पर कि क्या बंगला देश सरकार से इस मामले पर चर्चा की जा सकती है, उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

युद्धबन्दियों को छोड़ने के बारे में पाकिस्तान से अनुरोध

2750. **श्री विभूति मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से लिखित रूप में युद्धबन्दियों को छोड़ने के संबंध में अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्विस राजदूतावास के माध्यम से पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए प्रार्थना की थी;

(ग) सरकार का मत है कि पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने भारत और बंगला-देश की संयुक्त कमान के समक्ष समर्पण किया था इसलिए उनकी रिहाई के सवाल पर संघर्ष से संबद्ध तीनों पक्षों के बीच यानी पाकिस्तान, भारत और बंगला देश के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए।

Facilities to Families of Officers of Indian Embassy in Peking

2751. SHRI M. S. SIVASWAMY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 82 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the officers thereafter posted to Peking and who proceeded to Peking leaving their families behind in Delhi in Government accommodation were given notices to vacate their accommodation ; and

(b) if so, what action was taken by Government to protect the well-being of the families of those who proceeded to Peking ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) . (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

पत्रकारों का पेन्शन

2752. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ ने पिछले दिनों इलाहाबाद में आयोजित अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास करके पत्रकारों को भी पेंशन की सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सरकार को इस प्रकार का कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार

2753. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, जिन्हें रोजगार उपलब्ध किया जा चुका है और कितने व्यक्ति अभी भी बेरोजगार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेन्टिसिज एक्ट, 1961, के अन्तर्गत दिया जाता है जिसमें अप्रेन्टिस कोर्स पास करने पर प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी देने की गारण्टी नहीं है । जबकि इस बैच के सफल उम्मीदवारों को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में जगहें खाली होने पर वहां रखा जा रहा है । पिछले बैचों के प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी देने के बारे में तभी विचार किया जाता है जब उनके नाम रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे जाते हैं ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अवधि	प्रशिक्षण के लिए लिये गये कुल प्रशिक्षणार्थी	कितने पास हुए	जितनों को नौकरी दी गई	जिनको अभी भारी इंजीनियरी निगम में नौकरी नहीं मिली है
1	2	3	4	5
1. जो 1966 से पहले दाखिल हुए थे और जिन्होंने मार्च, 67 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया था ।	1430	1430	1430	-